राजस्व वाद संख्याः–161 / 2022
तारावती वगै0 बनाम अमिताब वगै0
निर्णय दिनांकः– 20.06.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 161 / 2022

1. तारावती पत्नि सुरजाराम जाति जाट निवासी पन्नेसिंहपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान
2. विनोद पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी पन्नेसिंहपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान
3. विरेन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी पन्नेसिंहपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

आवेदकगण

बनाम

1. अमिताब पुत्र किशोरीलाल जाति बांवरिया निवासी दादरी तोय तहसील व जिला झज्जर हरियाणा
2. करीना कुमारी पुत्री नरेश जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. कलावती पत्नि जोगेन्द्र जाति बांवरिया निवासी सेलंगा तहसील मातनहेल जिला झज्जर हरियाणा
4. चेतराम पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
5. जयपाल पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
6. ज्योति पुत्री जयवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
7. तृष्णा पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
8. धनवन्ती पत्नि राजवीर जाति बांवरिया निवासी सेलंगा तहसील मातनहेल जिला झज्जर हरियाणा
9. नैना कुमारी पुत्री जयवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
10. प्रताप सिंह पुत्र जुगलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
11. प्रियंका कुमारी पुत्री नरेश जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
12. पिंकी पुत्री सत्यवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
13. बनवारीलाल पुत्र भाना जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

14. बिमला पत्नि सत्यवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
15. भरथाराम पुत्र भाना जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
16. मन्जू पत्नि स्व० नरेश जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
17. मैना कुमारी पुत्री जयवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
18. मनीराम पुत्र भाना जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
19. मेवा पत्नि होशियार जाति मेघवाल निवासी रेबारी बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान
20. मीना पुत्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
21. मीर सिंह पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
22. रविकान्त कुमार पुत्र जयवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
23. रेशमी पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
24. राजेश पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
25. रामपती पत्नि रविन्द्र जाति बांवरिया निवासी सेलंगा तहसील मातनहेल जिला झज्जर हरियाणा
26. रोशनी पुत्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
27. विक्रम पुत्र सत्यवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
28. विद्या पुत्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
29. संदीप पुत्र सत्यवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
30. सुनिता पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
31. सुरेन्द्र पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल निवासी गोठड़ी तहसील चिंडाको जिला झुन्झुनू राजस्थान
32. सुरेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
33. सुरेश पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
34. सरोज पत्नि स्व० जयवीर जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

35. सुशीला पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
36. हरबाई पत्निबृजलाल जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
37. होशियार सिंह पुत्र भाना जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
38. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
39. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (हाल भारतीय स्टेट बैंक) शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
40. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
41. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
42. एक्सिस बैंक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक
43. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि तहसील सूरजगढ की ग्राम पन्नेसिंहपुरा में भूमि खसरा नम्बर 191/16 रकबा 1.13 हैक्टर आवेदकगण की खुद काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें आवेदकगण ने अपना पुख्ता कुआं व पुख्ता रिहायशी मकानात बनाकर आबाद है। आवेदकगण के खेत व रिहायशी मकान में जाने बाबत कोई भी कटानी रास्ता नहीं लगता है।

यह कि भूमि खसरा नम्बर 191/16 रकबा 1.13 हैक्टर के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 13 व 14 है जिसके खातेदार काश्तकार अनावेदक नं. 1 व 37 है के दक्षिणी सीमा के सहारे – सहारे खसरा नं. 90 रकबा 1.05 है0 किस्म गै.मु. रास्ता कटा हुआ है। उक्त कटानी रास्ते से भूमि खसरा नं. 14 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होते हुओ आवेदकगण की जमीन खसरा नं. 191/16 में जाने के लिए अन्य कोई नजदीक रास्ता आवेदक की भूमि के नहीं लगता है। आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा सलंग्न है जो आवेदन पत्र का ही भाग है।

यह कि आवेदकगण खेत खसरा नम्बर 191/16 में बने मकानात में आने जाने बाबत वाहन, उंट गाड़ा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत खसरा नं. 14 रकबा 0.30 हैक्टर के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नं. 191/16 में जाने के लिये नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए से बी के अनुसार रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—161 / 2022
तारावती वगै0 बनाम अमिताब वगै0
निर्णय दिनांकः— 20.06.2025

यह कि आवेदक धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना करने को तैयार है। तथा भूमि खसरा नं. 14 में से उक्त रास्ता कायम किये जाने पर जितनी जमीन कम होती है उतनी जमीन भूमि खसरा नं. 14 के खातेदार काश्तकार को मुआवजा राशि या बदले की जमीन देने के लिए प्रार्थीगण तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण की भूमि खसरा नं. 191 / 16 रकबा 1.13 हैक्टर वाके मौजा पन्नेसिंहपुरा में आने जाने के लिऐ नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता भूमि खसरा नं. 14 रकबा 0.30 हैक्टर के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होते हुये कटानी रास्ता खसरा नं. 90 तक 60 फुट लम्बा नया रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने का व मौका पर अवरूद्ध होने पर खुलवाये जाने का आदेश अनावेदक नं. 43 को दिया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अनावेदकगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सुरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2023 / 665 दिनांक 10.10.2023 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2023 / 665 दिनांक 10.10.2023 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 191 / 16 मौजा पन्नेसिंहपुरा में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 14 अप्रार्थीगण की भूमि में से पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बी तक की लम्बाई 60 मीटर का रास्ता 0.03 है. कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व / 2023 / 665 दिनांक 10.10.2023 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 191 / 16 मौजा पन्नेसिंहपुरा में आने जाने के लिए नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 14 अप्रार्थीगण की भूमि में से पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बी तक की लम्बाई 60 मीटर का रास्ता 0.03है0 कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़